

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 06/6/2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिला पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय में अनुबंध/संविदा के आधार पर कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायकों को मानदेय के भुगतान हेतु विभागीय परिपत्र के अधीन स्वीकृत दर के आलोक में अनुमान्य आधार पर देय राशि कुल ₹1,06,86,000 (एक करोड़ छह लाख छियासी हजार रुपये) मात्र के राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2. राज्य के विभिन्न जिलों में जिला पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय में अनुबंध/संविदा पर कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायकों के मानदेय भुगतान हेतु विभागीय परिपत्र के अधीन स्वीकृत अनुमान्य दर पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित विवरणी के अनुसार जिलावार नाम के समक्ष अंकित राशि कुल ₹1,06,86,000 (एक करोड़ छह लाख छियासी हजार रुपये) मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	स्वीकृत राशि
1	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल।	₹2,90,000.00 (दो लाख नब्बे हजार रुपये मात्र)।
2	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद।	₹2,78,000.00 (दो लाख अठहत्तर हजार रुपये मात्र)।
3	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बाँका।	₹2,78,000.00 (दो लाख अठहत्तर हजार रुपये मात्र)।
4	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर।	₹2,78,000.00 (दो लाख अठहत्तर हजार रुपये मात्र)।
5	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर।	₹2,78,000.00 (दो लाख अठहत्तर हजार रुपये मात्र)।
6	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।	₹2,78,000.00 (दो लाख अठहत्तर हजार रुपये मात्र)।
7	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज।	₹2,78,000.00 (दो लाख अठहत्तर हजार रुपये मात्र)।
8	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद।	₹2,78,000.00 (दो लाख अठहत्तर हजार रुपये मात्र)।
9	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमूर।	₹2,78,000.00 (दो लाख अठहत्तर हजार रुपये मात्र)।
10	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार।	₹2,60,000.00 (दो लाख साठ हजार रुपये मात्र)।
11	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया।	₹2,78,000.00 (दो लाख अठहत्तर हजार रुपये मात्र)।
12	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर।	₹2,78,000.00 (दो लाख अठहत्तर हजार रुपये मात्र)।
13	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	₹2,78,000.00 (दो लाख अठहत्तर हजार रुपये मात्र)।
14	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा।	₹4,71,000.00 (चार लाख इकहत्तर हजार रुपये मात्र)।
15	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना।	₹2,78,000.00 (दो लाख अठहत्तर हजार रुपये मात्र)।
16	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर।	₹2,78,000.00 (दो लाख अठहत्तर हजार रुपये मात्र)।
17	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण।	₹2,78,000.00 (दो लाख अठहत्तर हजार रुपये मात्र)।
18	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा।	₹2,78,000.00 (दो लाख अठहत्तर हजार रुपये मात्र)।
19	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल।	₹2,75,000.00 (दो लाख पचहत्तर हजार रुपये मात्र)।
20	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प० चम्पारण।	₹4,71,000.00 (चार लाख इकहत्तर हजार रुपये मात्र)।
21	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगूसराय।	₹2,78,000.00 (दो लाख अठहत्तर हजार रुपये मात्र)।
22	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर।	₹2,78,000.00 (दो लाख अठहत्तर हजार रुपये मात्र)।
23	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा।	₹2,78,000.00 (दो लाख अठहत्तर हजार रुपये मात्र)।
24	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा।	₹4,71,000.00 (चार लाख इकहत्तर हजार रुपये मात्र)।

25	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शिवहर।	₹2,78,000.00 (दो लाख अठहत्तर हजार रुपये मात्र)।
26	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया।	₹2,78,000.00 (दो लाख अठहत्तर हजार रुपये मात्र)।
27	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अररिया।	₹2,78,000.00 (दो लाख अठहत्तर हजार रुपये मात्र)।
28	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय।	₹2,78,000.00 (दो लाख अठहत्तर हजार रुपये मात्र)।
29	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा।	₹2,78,000.00 (दो लाख अठहत्तर हजार रुपये मात्र)।
30	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी।	₹2,78,000.00 (दो लाख अठहत्तर हजार रुपये मात्र)।
31	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णियाँ।	₹4,71,000.00 (चार लाख इकहत्तर हजार रुपये मात्र)।
32	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली।	₹2,78,000.00 (दो लाख अठहत्तर हजार रुपये मात्र)।
33	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रोहतास।	₹2,78,000.00 (दो लाख अठहत्तर हजार रुपये मात्र)।
34	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी।	₹4,71,000.00 (चार लाख इकहत्तर हजार रुपये मात्र)।
35	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालंदा।	₹2,78,000.00 (दो लाख अठहत्तर हजार रुपये मात्र)।
कुल:-		₹1,06,86,000 (एक करोड़ छह लाख छियासी हजार रुपये) मात्र

3. इस स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन-उप शीर्ष-0102-जिला पंचायत की स्थापना" मद के "विषय शीर्ष-0102.28.02-संविदा सेवाएँ" से वित्तीय वर्ष 2022-23 में की जाएगी। इसकी माँग संख्या-16 एवं विपत्र कोड संख्या-16-2515000010102 है।
4. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार, से बिहार कोषागार संहिता 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।
5. इस राशि का आवंटनादेश निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अलग से निर्गत किया जाएगा जिसके आधार पर राशि की निकासी की जाएगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि के व्ययोपरान्त नियमानुसार व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र पंचायत राज विभाग को उपलब्ध करायेंगे। सभी कर्मियों को निर्धारित मानदेय अनुमान्य दर पर नियमानुसार भुगतान एवं आवश्यक कटौती करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा। किसी भी प्रकार के गलत भुगतान के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
6. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2017 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-3प/विविध-17-17/2019 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-67/टि० पर दिनांक-23/05/2022 को प्राप्त है।
8. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर स्वीकृति प्राधिकार, प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या-3प/विविध-17-17/2019 के टिप्पणी पृष्ठ सं०-67 .../टि० पर दिनांक-30/05/2022 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

पटना, दिनांक 06/6/2022

ज्ञापांक-3प/विविध-17-17/2019/02(स्वी)/पं०रा०

प्रतिलिपि-सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार (जमुई, किशनगंज एवं सिवान को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक-3प/विविध-17-17/2019/02(स्वी)/पं०रा०

पटना, दिनांक 06/6/2022

प्रतिलिपि-सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार (जमुई, किशनगंज एवं सिवान को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक-3प/विविध-17-17/2019/02(स्वी)/पं०रा०

पटना, दिनांक 06/6/2022

प्रतिलिपि-सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार (जमुई, किशनगंज एवं सिवान को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक-3प/विविध-17-17/2019/02(स्वी)/पं०रा०

पटना, दिनांक 06/6/2022

प्रतिलिपि-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत्यादेश की प्रति विभाग के वेबसाइट पर डालेंगे तथा सभी संबंधितों को ई-मेल के माध्यम से संबंधित को सूचित करेंगे।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी